न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0) न्यू कोर्ट सं0–1,मुरादाबाद।

विविध वाद सं0–/2022

सलमा बनाम उस्मान आदि।

प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर आदेश

24.11.2022:–

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0 पर सुना गया।

प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2018 में परिवादनी के ससुराल वालों ने परिवादनी के साथ दहेज की मांग पूरी न होने के कारण जान से मारने की नियत से चाकू से कातीलाना हमला किया था तथा उसे घर से निकाल दिया परिवादनी उसी समय से अपनेमायके में रह रही हैं। परिवादनी को अब पता चला कि उसके पति उस्मान परिवादनी से बगैर पूछे पन्द्रह दिन में दूसरी शादी कर रहे हैं तब दिनांकः–30.09.2022 को समय लगभग 10.30 बजे दिन परिवादनी अपनी ससुराल गयी। परिवादनी ने जैसे ही घर मे कदम रखा वैसे ही उस्मान, दानिश पुत्रगण कलुआ, कलुआ पुत्र नसीर, श्रीमति जरीफन पत्नि कलुआ, रूबीना, रिहाना पुत्रीगण कलुआ समस्त निवासीगण ग्राम मानपुर छजलैट, थाना छजलैट, जिला मुरादाबाद ने एक राय होकर परिवादनी के साथ गाली–गलौंच की और कहा कि तू यहां क्या लेने आयी है? परिवादनी ने इस बात का विरोध किया और कहा कि यह मेरा घर है और मैं यहां रहना चाहती हूँ इस बात पर उक्त सभी लोगों ने एक राय होकर परिवादनी के साथ लात–घूसों, लाठी–डंडो व धारदार हथियार से मारपीट की तथा गले में दुपटटा डालकर परिवादनी को जान से मारने का प्रयास किया तथा उक्त दानिश ने परिवादनी को बुरी नियत से पकड़ लिया और उसके कपड़े फाड़ दिये शोर पर आसपास के काफी लोग इकटठा हो गये जिन्होने बचाया। इस मारपीट में परिवादनी के गले, सिर व शरीर पर खुली व गुम चोट आई हैं। इसके बाद परिवादनी ने डायल 112 पर फोन किया और थाने पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया लेकिन थाना पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और न ही परिवादनी का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा हल्का दरोगा लाजपत ने परिवादनी को थाने पर बैठा लिया और उसके साथ बुरी तरह गाली–गलौंच व मारपीट की और कहा कि साली कहीं शिकायत की तो तुझे व तेरे भाईयों को जेल भेज दूँगा। मजबूरन परिवादनी ने जिला अस्पताल मुरादाबाद जाकर अपनी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया। परिवादी ने इस बात की शिकायत उसी दिन थाना छजलैट पर की लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब परिवादी ने दिनांकः–03.10.2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुरादाबाद को स्वयं पेश होकर व रजिस्टर्ड डाक द्व ारा प्रार्थना पत्र दिया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूरन परिवादनी न्यायालय की शरण में आयी है।

प्रार्थिनी ने उक्त कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, चिकित्सा प्रमाण पत्र की छायाप्रति, डाक रसीद की मूलप्रति व आधारकार्ड की छायाप्रति दाखिल की है।

सम्बन्धित थाना हाजा की आख्या अनुसार उक्त प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत होने से इंकार किया है।

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो भी कथन किये गये है, उनके सम्बन्ध में प्रार्थनी स्वयं ही अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है तथा प्रार्थनी को घटना के समस्त तथ्यों एवं गवाहान की जानकारी है। पुलिस द्वारा किसी तथ्य विशेष के अन्वेषण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **नाथूलाल गंगवार प्रति उ० प्र० राज्य, 2008 (61) ए.सी. सी. 792 (इलाहाबाद), सुखवासी प्रति उ० प्र० राज्य 2007 (59) ए.सी.सी. 739 (इलाहाबाद–खण्डपीठ) एवं रामबाबू गुप्ता प्रति उ० प्र० राज्य, 2001 (43) ए.सी.सी. 50 (इलाहाबाद पूर्ण पीठ)** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायोचित एवं विधि संगत प्रतीत होता है कि आवेदिका के आवेदन पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर इसका विधि अनुसार निस्तारण किया जाए।

<u>आदेश</u>

आवेदिका सलमा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाये। परिवादी के बयान अर्न्तगत धारा 200 दं०प्र०सं० दिनांक 14.12.2022 को पेश हो ।

(शुभांगी गुप्ता)
अपर सिविल जज, (जू0डि0),
न्यू कोर्ट–1, मुरादाबाद।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 3296

Digitally signed by Shubhangi Gupta
Date: 2022.11.24 16:46:46 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court